मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/एफ-7-22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 31-7-1995

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष
जिला
मध्यप्रदेश

विषय:- नगरीय क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी की वितरण व्यवस्था ।

----0----

प्रदेश में निस्तार सुविधाओं संबंधी नीति के निर्धारण के पश्चात दिनांक 26-12-94 को तत्संबंधी आदेश जारी किये गये है । इस नीति के तहत 1-7-95 से शहरी क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा वनोपज (जलाऊ लकड़ी) के प्रदाय की व्यवस्था बंद की जाना प्रस्तावित है । चूँकि कई शहरी क्षेत्रों में संभवत: जलाऊ लकडी आदि की व्यवस्था निजी क्षेत्रों द्वारा करने में ओर कम समय लगने की संभवना है । अत: फिलहाल शहरी क्षेत्रों में भी जलाऊ लकड़ी आदि प्रदाय करने की व्यवस्था चालू रखी जाये, परन्तु यह प्रदाय बाजार दर पर होगा न कि रियायती दर पर ।

सही/-
(एस.के. पवांर)
उप सचिव, म0प्र0 शासन
वन विभाग

पृ.क्र.एफ-7-22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 31-7-1995

प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल को उनके पत्र क्रमांक प्र.मु.व.स./3957 दिनांक 1-7-95 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही/-
(एस.के. पवांर)
उप सचिव